

**कार्यालय प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु, सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय  
नव केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर-302005  
(सूचना का अधिकार शाखा)**

फा. सं. V(Tech)RTI/51/2019/2280

दिनांक: 27.06.2019

सेवा में,

श्री आर.के. जैन,  
1512-बी, भीष्म पितामह मार्ग,  
वजीर नगर, नई दिल्ली-110003

विषय: - सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत चाही सूचना के क्रम में।

महोदय,

कृपया आपका सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत किया आवेदन पत्र दिनांक 04.05.2019 जो कि अपर आयुक्त/केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, सीजीएसटी एवम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क(जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर द्वारा केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, सीजीएसटी व उत्पाद शुल्क, जयपुर (कार्यालय में प्राप्त 24.06.2019) को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत विंदु संख्या 4(C) के संदर्भ में स्थानांतरित किया गया था का सन्दर्भ देखें।

In this context the requisite information in respect of Para 4(c) of your RTI application regarding list of pending indirect tax cases (Central Excise, Service Tax and GST) before Hon'ble Rajasthan High Court as 01.05.2019, is attached herewith.

"यदि सूचना लेने वाले व्यक्ति को सूचना से असंतुष्टि है तो वह प्रथम अपीलीय प्राधिकरण, श्री वृज लाल मीना, संयुक्त आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु, सेवा कर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, नव राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर - 302005 को इस निर्णय की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं।"

भवदीय,

संलग्न- यथोपरी

— sd —

सहायक आयुक्त/ के. लो. सू. अधिकारी,  
केन्द्रीय वस्तु, सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,  
जयपुर।

प्रतिलिपि:

1. वेब मास्टर/अपर आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु, सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर को जोनल वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

प्राप्त  
27/6/19  
सहायक आयुक्त/ के. लो. सू. अधिकारी,  
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी  
केन्द्रीय वस्तु, सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,  
Central Goods & Services Tax Commission  
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय  
जयपुर।  
Central Goods & Services Tax Commission  
जयपुर/Jalpur